

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प - गिरधारे लालपुरा

155/2021

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का हिलो/निम)
व भूअ.नि. वृत्त तामड़िया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चाकसू / नायब
तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम आनंदरामपुरा तहसील व जिला
की जमाबंदी सम्वत् 2076-79 में खाता संख्या 80
जयपुर में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व
रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	आनंदरामपुरा	80	लाली देवी पति सोहन लाल	ललिता देवी उर्फ लाली देवी पति सोहन लाल

शिदिर प्रभारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)
चाकसू, जयपुर।

दि 17-12-2021

क्रमांक:- 2155/2021/3804

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, तहसील चाकसू को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ललिता देवी उर्फ लाली देवी पति सोहन लाल को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

शिदिर प्रभारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)
चाकसू, जयपुर।